



दिनांक 31.08.2020

प्रेस विज्ञप्ति 39/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच०सी० अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:—

- चालान किये गये वाहनों की संख्या — 3656806
- सीज किये गये वाहनों की संख्या — 70304
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रु०** — **71,70,69,959**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 211838
- ई०सी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 860

जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा

- पुलिस कार्यवाही में पट्टा गैंग का सदस्य 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 31.08.2020 को थाना गंजडुण्डवारा व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कादरगंज रोड के पास से पुलिस कार्यवाही के उपरांत पुरस्कार घोषित अपराधी छोटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद कासगंज, बदायूं के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गंजडुण्डवारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-छोटे नि0 अब्दुललागंज थाना उझानी बदायूं।

बरामदगी

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार

- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस 01 मोटरसाइकिल, बरामद

दिनांक 30.08.2020 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जारचा बाईपास पुल के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की

गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अंकित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस 01 मोटरसाईकिल बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व धोखाधड़ी के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ददारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 439/2020 धारा 393/307/323/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु गौतमबुद्धनगर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अंकित निवासी भैसा खुर्द थाना बीवीनगर बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2-01 मोटरसाईकिल।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना लोटन

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 01 मोटरसाईकिल आदि बरामद

दिनांक 30.08.2020 की रात्रि थाना लोटन व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जितेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 01 मोटरसाईकिल आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना लोटन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र नि0 टोला भेलिनपुर थाना गुलरिहा गोरखपुर।

बरामदगी

1—01 मोटरसाईकिल, 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

• 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 30.08.2020 को थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पटेल तिराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1550/96 धारा 147/148/149/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र पासी निवासी साहबपुर थाना धूमनगंज प्रयागराज ।

बरादमगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस ।

जनपद मेरठ / थाना बहसूमा

• पुलिस कार्यवाही में शातिर 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- लूट के 65,000 रुपये, लूट के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एक तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 30.08.2020 को थाना बहसूमा व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा झुनझुनी नहरपुल के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मयंक घायल हो गया, जिसे अन्य दो अभियुक्तों 2—अंकुर व 3—सागर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 65,000 रुपये, लूट के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एक तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में थाना बहसूमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मयंक नि0 मारकपुरिया बहसूमा मेरठ ।

2—अंकुर नि0 मारकपुरिया बहसूमा मेरठ ।

3—सागर नि0 मारकपुरिया बहसूमा मेरठ ।

बरामदगी

1— लूट के 65,000 रुपये, लूट के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एक तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल ।

- जनपद बागपत/थाना दोघट

- पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध फैक्ट्री मेड दोनाली बंदूक मय जीवित व खोखा कारतूस

दिनांक 30.08.2020 को थाना दोघट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम टीकरी के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रवीण घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-प्रवीण नि0 गंगनौली थाना दोघट बागपत।

बरामदगी

1-01 अवैध फैक्ट्री मेड दोनाली बंदूक मय जीवित व खोखा कारतूस।

जनपद कानपुर नगर/थाना बिधनू

- पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस

दिनांक 31.08.2020 को थाना बिधनू पुलिस टीम द्वारा परसौली रोड के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रदीप

कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस संबंध में थाना विधनू पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-प्रदीप कुमार निवासी ग्राम गोसाईपुरवा थाना बिठूर कानपुर नगर।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना मुसाफिरखाना

● 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 30.08.2020 को थाना मुसाफिरखाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कादूनाला अढ़नपुर मार्ग के पास से पुरस्कार घोषित तीन अभियुक्तों 1.प्रदीप 2.जुनैद 3-इंजमाम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद सुलतानपुर, अमेठी, लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-प्रदीप नि0 जमुवारी थाना मुसाफिरखाना अमेठी।

2.जुनैद नि0 जमुवारी थाना मुसाफिरखाना अमेठी।

3-इंजमाम नि0 ग्राम मंगरौरा थाना कमरौली अमेठी।

जनपद सम्भल/थाना हयातनगर व थाना कोतवाली बहजोई

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- विभिन्न बोर के 16 तमंचे बने व 04 अधबने तमंचे, 01 एसबीबीएल बंदूक 12 बोर, 15 कारतूस, 12 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 30/31.08.2020 को थाना हयातनगर एवं कोतवाली बहजोई पुलिस द्वारा थाना हयातनगर व कोतवाली बहजोई क्षेत्रान्तर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—इकराम 2—प्रेमपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न बोर के 16 तमंचे बने व 04 अधबने तमंचे, 01 एसबीबीएल बंदूक 12 बोर, 15 कारतूस, 12 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—इकराम नि0 नवाब खेल सरायतीन थाना हयातनगर सम्भल।
- 2—प्रेमपाल नि0 ग्राम बाजपुर थाना धनारी सम्भल।

बरामदगी

- 1—विभिन्न बोर के 16 तमंचे बने व 04 अधबने तमंचे।
- 2—01 एसबीबीएल बंदूक 12 बोर, 15 कारतूस, 12 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद सोनभद्र

जनपद सोनभद्र / थाना चोपन, गैंगेस्टर एक्ट में 03 अभियुक्तों की करीब 06 करोड़ रू0 कीमत की सम्पत्ति कुर्क

जनपद सोनभद्र थाना चोपन पुलिस द्वारा सोनभद्र चोपन नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन की हत्या के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चोपन पर मु0अ0सं0 26/2019 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित की गयी 03 अभियुक्तों 1—सूरज 2—रिंकू भारद्वाज उर्फ चन्द्र प्रकाश 3—धर्मेन्द्र कुमार की सम्पत्ति कीमत करीब 06 करोड़ रू0 को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गयी।

जनपद देवरिया

जनपद देवरिया / थाना बनकटा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त की करीब 01 करोड़ रू0 कीमत की सम्पत्ति कुर्क

जनपद देवरिया थाना बनकटा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त तारबाबू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क की गयी।
